

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/32638/2018

Rehabilitation & Upgrading of Dewari saldih Gadphuljhar Toshgaon Toresingha Road जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान :-	देवरी सल्डीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंगा मार्ग का पुर्नवास एवं उन्नयन कार्य
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	महासमुन्द
(iii)	वन प्रभाग	महासमुन्द वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	2.767 हे.
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1. आरक्षित वन रकबा - 2.767 हे. कुल - 2.767 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।	वृक्ष विदोहन योजना संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	भू-क्षरण हेतु संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	वनो से लगा हुआ क्षेत्र एवं मार्ग वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव गार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं है ।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं है ।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्ववीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	नहीं है ।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूँ।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अम चल रहे हैं ।	नहीं
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की गई है। पेज क्र. 76 से 102
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	-
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	-

(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	-
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य ।	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	-
5.	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
6.	विभाग / जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4790.00 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनमंडल का वन क्षेत्र	1005.192 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	प्रकरण संख्या- 23 रकबा 1686.925 हे.
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :	2055.805 हे.
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।	-
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	-
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	2055.805 हे.
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए. बी.डी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा देवरी सल्डीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंघा मार्ग का पुर्नवास एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित हैं। उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उपरोक्त वनभूमि का चयन किया गया है। उक्त मार्ग के उन्नयन से लोगो के आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। ईधन, समय क बचत एवं आर्थिक लाभ परिलक्षित है। अतः उक्त मार्ग के पुर्नवास एवं उन्नयन कार्य की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


(पकज राजपूत)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

महासमुन्द वनमंडल, महासमुन्द

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक / व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

20

- 1 परियोजना का नाम : देवरी सल्टीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंघा मार्ग का पुर्नवास एवं उन्नयन कार्य हेतु
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए. बी.डी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.)
- 3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : सड़क पुर्नवास एवं उन्नयन कार्य रकबा 2.767 है.

4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति

जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	परियोजना स्थल
महासमुन्द	महासमुन्द	बसना	कक्ष क्रमांक 298 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 300 रकबा 2.536 हे. कुल 2.767 हे.

5 वन भूमि का विस्तृत विवरण
(क) आरक्षित वन

कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
298	0.231
300	2.536
कुल	2.767 हे.

(ख) सीमांकित संरक्षित वन
(ग) असीमांकित संरक्षित वन

: -

(घ) राजस्व वन क्षेत्र

: -

योग -

: 2.767 हे

6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति : 0.5, साईड क्वालिटी IV-B प्रकार

7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण

:

8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति

: पर्याप्त

9 आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)

: निरंक

10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological : नहीं है।

Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र,) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।

11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन : नहीं है।

क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)

- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का : उल्लंघन नहीं किया गया है।
उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो
संक्षिप्त विवरण दें।

121

प्रमाण - पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा दिनांक 10.5.2022 को किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल -
दिनांक -


(पंकज सजपूत)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
महासमुन्द वनमंडल, महासमुन्द